



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)
प्रधान कार्यालय: सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001

31 मार्च 2016 को समाप्त छमाही / वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

| विवरण | 31-03-2016 को समाप्त छमाही | पिछले वर्ष 31-03-2015 को समाप्त तदनुसूची छमाही | 31-03-2016 को समाप्त चालू अवधि के लिए वर्षांत आँकड़े | 31-03-2015 को समाप्त पिछला लेखावर्ष |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| | (लेखापरीक्षित) | (लेखापरीक्षित) | (लेखापरीक्षित) | (लेखापरीक्षित) |
| 1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ) | 2943 | 2580 | 5542 | 5497 |
| (क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा | 2626 | 2412 | 5129 | 5158 |
| (ख) निवेशों पर आय | 38 | 10 | 43 | 16 |
| (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज | 279 | 158 | 370 | 323 |
| (घ) अन्य | - | - | - | - |
| 2. अन्य आय | 152 | 121 | 242 | 244 |
| 3. कुल आय (1+2) | 3095 | 2701 | 5784 | 5741 |
| 4. ब्याज व्यय | 1929 | 1569 | 3502 | 3374 |
| 5. परिचालन व्यय (i)+(ii) | 210 | 258 | 421 | 449 |
| (i) कर्मचारी लागत | 129 | 184 | 281 | 322 |
| (ii) अन्य परिचालन व्यय | 81 | 74 | 140 | 127 |
| 6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5) | 2139 | 1827 | 3923 | 3823 |
| 7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6) | 956 | 874 | 1861 | 1918 |
| 8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय* | 58 | (183) | 225 | (197) |
| 9. असाधारण मर्दे | - | - | - | - |
| 10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+)/ हानि (-) (7-8-9) | 898 | 1057 | 1636 | 2115 |
| 11. कर संबंधी व्यय@ | 283 | 321 | 459 | 698 |
| 12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ (+)/ हानि (-) (10-11) | 615 | 736 | 1177 | 1417 |
| 13. असाधारण मर्दे (कर व्यय घटाकर) | - | - | - | - |
| 14. अवधि का निवल लाभ (+)/ हानि (-) (12-13) | 615 | 736 | 1177 | 1417 |
| 15. चुकता ईफ़िटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) | 487 | 450 | 487 | 450 |
| 16. आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) | 10828 | 9053 | 10828 | 9053 |
| 17. विश्लेषणात्मक अनुपात | | | | |
| (i) पूँजी पर्याप्तता अनुपात | 29.86% | 36.69% | 29.86% | 36.69% |
| (ii) प्रति शेयर आमदनी \$ (वार्षिकीकृत नहीं) | 12.63 | 16.35 | 24.87** | 31.49** |
| 18. गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात | | | | |
| क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि | 1008.18 | 741.11 | 1008.18 | 741.11 |
| ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि | 481.41 | 431.44 | 481.41 | 431.44 |
| ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का % | 1.51 | 1.33 | 1.51 | 1.33 |
| घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का % | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.78 |
| च) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात) | 1.77% | 2.24% | 1.77% | 2.24% |

* पुनर्रकन पश्चात निवल

@ आस्थगित कर समायोजन पश्चात निवल

** वार्षिकीकृत

\$ यथा मार्च 31, 2016 को ईपीएस की गणना औसत भारत शेयरों की संख्या के आधार पर की गई है।

टिप्पणियाँ:

- निदेशक मंडल ने दिनांक 25 मई, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम अभिलेख में नोट किए।
- भारतीय रिज़र्व बैंक से जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर, गैर-निष्पादक आस्तियों, मानक आस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यहास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम निकाले गए हैं। आयकर, आस्थगित कर तथा कर्मचारी लाभ सहित अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान अनुमानित/समानुपातिक आधार पर किए गए हैं और वर्षांत में समायोजन के अधीन हैं।
- 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए 'प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय' बेशी प्रावधान, निवेश मूल्यहास संबंधी प्रावधान तथा पुनर्संचित खातों के प्रावधान के प्रतिलेखन के बाद निवल प्रावधान है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, बैंक ने गैर-निष्पादक आस्ति / गैर-निष्पादक निवेश हेतु विशिष्ट प्रावधान के लिए ₹306 करोड़ के चल प्रावधान का उपयोग किया है।
- वर्ष के दौरान, दिनांक 14 अगस्त, 2015 को भारत सरकार के कुल ₹750 करोड़ के श्रेणी-1 बॉण्ड का ₹202.80 प्रति शेयर के बही मूल्य पर बैंक के 3,69,82,250 ईफ़िटी शेयर भारत सरकार को आवंटित करते हुए ईफ़िटी में रूपांतरण किया गया। तदनुसार, बैंक की चुकता शेयर पूँजी बढ़कर ₹486.98 करोड़ हो गई है।
- पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- वित्तवर्ष 2015-16 के लिए कर व्यय, गत वर्षों के लिए आयकर के लिए किए गए अधिक प्रावधान के प्रतिलेखन के बाद निवल राशि है।
- निवल गैर-निष्पादक अस्तियों की गणना के लिए चल प्रावधान को नहीं लिया गया है। यदि चल प्रावधान को लिया गया तो निवल गैर-निष्पादक आस्ति शून्य होगा।
- निवेशकों से मिली शिकायतों की स्थिति: यथा 1 जनवरी, 2016 को बैंक के पास निवेशकों से मिली कोई शिकायत निपटान के लिए शेष नहीं थी। चालू तिमाही के दौरान, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अतः यथा 31 मार्च, 2016 को कोई शिकायत निपटान के लिए लंबित नहीं है।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षा की है।

निदेशक मंडल के आदेश से
ह/-
(क्षत्रपति शिवाजी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 25 मई, 2016

स्थान : मुंबई